राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 2370/2025

नाज़मिन अंसारी —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, कोटा।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नयागांव धूलेत, सांगोद, कोटा

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 28.03.2025
आदेश की दिनांक : 08.04.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड—III, लेवल—II, उर्दू के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नयागांव, धूलेत, सांगोद, जिला कोटा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक—2) के द्वारा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14.11.2024 की पालना में अधिशेष मानते हुए वर्तमान पदस्थापित स्थान से पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इटावा ब्लॉक, जिला कोटा में किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 3804/2024 दायर की गई। माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2024 (अनुलग्नक—6) के द्वारा अपीलार्थी को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश देकर अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर निर्णय होने तक विवादित आदेश दिनांक 06.12.2024 पर रोक लगा दी गई। अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के आदेश की अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर कोटा ब्लॉक में निकटवर्ती स्थान पर अध्यापक

ग्रेड–III, लेवल–II, उर्दू के पद रिक्त है, पर लगाये जाने का निवेदन किया गया (अनुलग्नक–7)। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को दिनांक 10.03.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तथ्यों की अनदेखी करते हुए खारिज करते हुए दिनांक 12.03.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वाराा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। परन्तु समान स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों के प्रकरण में उनके अभ्यावेदन को स्वीकार कर लिया गया और उन्हें उनकी पोस्टिंग के नजदीकी स्थानों पर तैनात किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.03.2025 (अनुलग्नक–1), आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–2) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 12.03.2025 (अनुलग्नक–3) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–II, उर्दू के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नयागांव, धूलेत, सांगोद, जिला कोटा में निरन्तर कार्य करने दिया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसी ब्लॉक में निकटवर्ती रिक्त पदों की काउंसलिंग करने के बाद अपीलार्थी को नियुक्ति प्रदान की जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–II, उर्दू के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नयागांव, धूलेत, सांगोद, जिला कोटा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14.11.2024 की पालना में अधिशेष मानते हुए वर्तमान पदस्थापित स्थान से पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इटावा ब्लॉक, जिला कोटा में किया गया। अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरण आदेश को चुनौती देते हुए माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 3804/2024 दायर की। माननीय अधिकरण द्वारा अपील अपीलार्थी को इस निर्देश के साथ अंतिम रूप से निस्तारण किया गया कि अपीलार्थी सक्षम अधिकारी के समक्ष दो सप्ताह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें तथा सक्षम अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर निर्णय ले

तथा अभ्यावेदन के निस्तारण करने तक दिनांक 06.12.2024 के विवादित स्थानान्तरण आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी। अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 17.12.2024 के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी विभाग के आख्यात्मक आदेश दिनांक 10.03.2025 में अंकित किया गया है कि राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के आदेश दिनांक 17.12.2024 एवं एस.बी.सिविल याचिका संख्या 3804/2025 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2025 में दिये गये निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में आधारों के संबंध में गहनापूर्वक विचार कर अपीलार्थी के प्रतिवेदन/अभ्यावेदन का निस्तारण मानदण्डों से कवर्ड नहीं होने से तथा अभ्यावेदन स्वीकृत किये जाने का कोई आधार नहीं होने के कारण अभ्यावेदन निरस्त किया गया है। अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2024 की पालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को आख्यात्मक आदेश जारी कर निस्तारण कर दिया गया है। अतः अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपीलार्थी अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)